फर्द अहकाम
(नियम 26)
अज अदालत : अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थी
किस्तुरचंद पुत्र पूनमचंद, जाति सुथार, निवासी जोजावर, तहसील मारवाड जंक्शन जिला पाली		राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारी तहसीलदार मारवाड जंक्शन, जिला पाली

प्रकरण संख्या 11/2019
(आर0सी0एम0एस0 प्रकरण संख्या 2019/00037)
किस्म मुकद्दमा : स्थगन प्रार्थना पत्र
अन्तर्गत धारा 81 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

तारीख	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
12.02.2019	प्रार्थी की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह स्थगन प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र प्रस्तुत कर तहसीलदार मारवाड जंक्शन द्वारा प्रकरण संख्या 03/2019 सरकार बनाम किस्तुरचंद में पारित निर्णय दिनांक 22.01.2019 की पालना एवं प्रभाव को स्थगित कराने का निवेदन किया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जावे। अप्रार्थी जरिये नोटिस तलब होकर पत्रावली दिनांक **20.2.2019** को पेश हो। **अति.जिला कलेक्टर,पाली**	327 [illegible]
20/2/2019	वकील प्रार्थी उपस्थित। प्रकरण से संबन्धित मूल अपील निर्णित हो चुकी है। अतः स्थगन प्रार्थना पत्र प्रभावहीन होने से खारिज किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम होकर मूल अपील के नत्थी हो। **अति० जिला कलक्टर, पाली**	